इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016—चैत्र 11, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 11437-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 31 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ४-ग का स्थापन.
५. धारा ५ का लोप.
६. धारा ५-क का संशोधन.
७. धारा ६-क का संशोधन.
८. धारा ६-ख का संशोधन.
९. धारा ६-ग का संशोधन.
१०. धारा ७ का संशोधन.
११. धारा ७-क का अन्तःस्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "तीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "पच्चीस हजार" के स्थान पर, शब्द "पैंतीस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ४-ग का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कम्प्यूटर आपरेटर/ अर्दली भत्ता.

" ४-ग. प्रत्येक सदस्य को पंद्रह हजार रुपए प्रतिमास कम्प्यूटर आपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जाएगा.".

धारा ५ का लोप.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ का लोप किया जाए.

धारा ५-क का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "६,००० किलोमीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१०,००० किलोमीटर" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द "तीन हजार" के स्थान पर, शब्द "चार हजार" स्थापित किए जाएं.".

धारा ६-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द "पन्द्रह हजार" के स्थान पर, शब्द "बीस हजार" स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे.".

धारा ६-ख का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पांच सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे.".

९. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किए जाएं. धारा ६-ग का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं. धारा ७ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ७-क का अन्तःस्थापन.

"७-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा. अनुग्रह अनुदान.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रास्फीति के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ३० मार्च, २०१६

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये २५,८०,६०,०००/- (रुपये पच्चीस करोड़ अस्सी लाख साठ हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.